न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.–.....94......./2024

राजेन्द्र पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी भाड़ग तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर/नायब तहसीलदार साहवा।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 21.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा भाड़ंग के खसरा सं. 1288/398 तादादी 3.2751 हेक्ट., खसरा नं. 252 तादादी 0.7081 हैक्ट, खसरा नं. 312 तादादी 0.7713 हैक्ट., खसरा नं. 435 तादादी 4.7545 हैक्ट., खसरा नं. 608/188 तादादी 8.4595 हैक्ट., खसरा नं. 895/485 तादादी 5.1592 कुल तादादी 23.1277 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र श्योराम अंकित है जो गलत है, जबकि प्रार्थी का राजेन्द्र पुत्र श्रीराम सही हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र श्रीराम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा भाड़ंग के खसरा सं. 1288/398 तादादी 3.2751 हेक्ट., खसरा नं. 252 तादादी 0.7081 हैक्ट, खसरा नं. 312 तादादी 0.7713 हैक्ट., खसरा नं. 435 तादादी 4.7545 हैक्ट., खसरा नं. 608/188 तादादी 8.4595 हैक्ट., खसरा नं. 895/485 तादादी 5.1592 कुल तादादी 23.1277 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र श्रीराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट नायब तहसीलदार साहवा के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम राजेन्द्र पुत्र श्योराम की जगह राजेन्द्र पुत्र श्रीराम करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र श्योराम ही दर्ज है। अतः प्रार्थी राजेन्द्र पुत्र श्योराम की जगह राजेन्द्र पुत्र श्रीराम दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, पहचान पत्र से वादी का दस्तावेजीय नाम राजेन्द्र पुत्र श्रीराम पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा भाड़ंग के खसरा सं. 1288/398 तादादी 3.2751 हेक्ट., खसरा नं. 252 तादादी 0.7081 हैक्ट, खसरा नं. 312 तादादी 0.7713 हैक्ट., खसरा नं. 435 तादादी 4.7545 हैक्ट., खसरा नं. 608/188 तादादी 8.4595 हैक्ट., खसरा नं. 895/485 तादादी 5.1592 कुल तादादी 23.1277 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि राजेन्द्र **पुत्र श्योराम Delete** कर इसके स्थान पर **राजेन्द्र पुत्र श्रीराम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर/नायब तहसीलदार साहवा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)